न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS
पत्रावली संख्या : 62/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री बाबुलाल उर्फ बाबुडिया पिता वक्ता डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता नाना डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।
2. श्री भगा पिता नाना डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।
3. श्री मोहन पिता नाना डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।
4. श्री लच्छीराम पिता नाना डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।
5. श्री गोमा पिता नाना डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री उदयलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.03.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 76, 77 किता 2 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सानुसार से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 867 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सानुसार से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 177, 186 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर संयुक्त रूप से 1/4 + 1/4 हिस्सानुसार से अंकित है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 245, 246 किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार कुका पिता वालु के नाम पर हिस्सानुसार से अंकित हैं। यह कि पूर्व के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयान में से आराजी नम्बर 76, 77 में कुका पिता वालु के नाम पर 1/16 हिस्सा दर्ज हैं। इसी तरह आराजी नम्बर 177, 186 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

कुका पिता वालु का हिस्सा 1/4 तथा भगा मोहन गोमा लछा बाबुडिया पिता नाना का हिस्सा 1/4 दर्ज हैं। इसी तरह आराजी नम्बर 245, 246 में कुका पिता वालु के नाम पर 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा इसी तरह आराजी नम्बर 867 में कुका पिता वाला का 1/16 हिस्सा दर्ज हैं। कुका जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा कुका और नानाजी सगे भाई थे इसलिए कुका जी के कोई औलाद नहीं होने से उक्त आराजीयात में कुका जी का हिस्सा उनके भतीजे जो विपक्षी सं. 1 से 5 है, उनमें निहित हो गया। यह कि दिनांक 20.01.1986 को सम्वत् 2042 का पोष सुद दसम यानि करीबन 33 साल पूर्व विपक्षी सं. 1 से 5 एवं कुका पिता वाला जी ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अपना हिस्सा मुझ प्रार्थी को 3,000/– तीन हजार रूपया में विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से उक्त आराजीयात पर मुझ प्रार्थी का शांतिपूर्वक निरन्तर अधिकार सहित कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी सं. 1 से 5 व कुकाजी ने मुझ प्रार्थी के पक्ष में रूपया लेकर लिखतम कर दी तथा उक्त लिखतम में आराजी नम्बर नहीं डालकर उन आराजीयात का पडोस दर्ज कर दिया है और इन्ही पडोसों के मध्य में उक्त आराजीयात स्थित हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 से 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, विपक्षी सं. 1 से 5 अपने नाम अंकित कृषि भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, कुका पिता वालु के नाम अंकित भूमि को अपने नाम पर अंकित नहीं करावें, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा सिन्दु, पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता नम्बर 92 आराजी नम्बर 76 व 77 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा जिसमें वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा दर्ज हैं। इसी प्रकार खाता सं. 264 सम्वत् 2070–73 ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दू के आराजी नम्बर 867 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में वर्तमान में लाल, भग्गा, मोहन, लच्छीराम, गोमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

पिता नाना के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है खाता सं. 271 ग्राम सिन्दू पटवार हल्का सिन्दू आराजी नम्बर 177 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व आराजी नम्बर 186 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा इसमें प्रतिवादी सं. 1 से 5 को 1/2 हिस्सा निहित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के अनुसार आराजी नम्बर 177 व 186 में कुका पिता वालु का हिस्सा 1/4 दर्ज था तथा भग्गा, मोहन, गोमा, लच्छा, बाबु पिता नाना का हिस्सा 1/4 दर्ज है। वर्तमान में यह बाबुलाल, भग्गा, मोहन, लच्छीराम, गोमा पिता नाना 1/4 व भग्गा, मोहन, गोमा, लच्छा, बाबुडिया पिता नाना का हिस्सा 1/4 इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 से 5 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता सं. 68 ग्राम सिन्दू पटवार हल्का सिन्दू के आराजी नम्बर 245 व 246 रकबा क्रमशः 18 बिस्वा व 7 बिस्वा में कुका पिता बालु , गांगा, रामा, चेना पिता माना 1/3 हिस्सा दर्ज हैं।

4. प्रार्थी ने अपने पक्ष में एक लिखतम एक हस्तलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें कही आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं, ना ही वह असल दस्तावेज है, ना ही पंजीकृत दस्तावेज हैं।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन आवश्यक शर्तें यथा 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. अपूरणीय क्षति 3. सुविधा का संतुलन जैसे तीनों बिन्दू किसके पक्ष में यह ध्यान रखना आवश्यक हैं।

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* इसको साबित करने का भार प्रार्थी का हैं। यह अन्वेषण व गुणावगुण आधार पर होना चाहिए। चूंकि प्रार्थी के पास अपने पक्ष में उक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में सिर्फ एक कागज पर लिखतम किया हुआ है। वह भी बिना किसी पंजीयन के हैं, इसमें कही आराजी का भी उल्लेख नहीं हैं। केवल इस आधार पर कि प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का एक लिखित बेचाननामा है, मान्य नहीं है। न तो उस बेचान नामा में स्पष्ट आराजी का उल्लेख है, ना ही वह असल एवं पंजीकृत है। अतः विपक्षी उस वर्णित आराजी का अभिलिखित खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। सवाईसिंह बनाम रामस्वरूप 1999 RRD 507 कि एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं।

2. *अपूरणीय क्षति–* प्रार्थी उक्त भूमि का अभिलिखित खातेदार न होकर विपक्षी सं. 1 से 5 हैं। अतः विपक्षी सं. 1 से 5 अभिलिखित खातेदार होने के कारण अगर उसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति, नुकसानी के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है। इसकों प्रार्थी को साबित करना हैं। अतः विपक्षी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह विपक्षी के पक्ष में हैं।

3. *सुविधा का संतुलन–* सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी के पक्ष में हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने के कारण खारीज करना उचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested